न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5244 / 2018 / अशोकनगर / भूरा के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17.10.1994 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 177 / निगरानी / 1992–93.

....

रघुवीर सिंह पुत्र श्री बुन्देल सिंह यादव
निवासी ग्राम बगुरिया कृषक करीला मुहाल
तहसील पिपरई जिला अशोकनगर म0 प्र0 ———आवेदक

विरूद्ध

1—वीरेन्द्र सिंह पुत्र राजधर सिंह यादव
2—राजेन्द्र सिंह पुत्र राजधर सिंह यादव
3—कबूलाबाई पुत्री राजधर सिंह यादव
4—मल्लीबाई पुत्री राजधर सिंह यादव
5—गुडड़ीबाई पुत्री राजधर सिंह यादव
6—कशीबाई वेवा पत्नी सुबाजू
निवासीगण ग्राम करीला मुहाल तहसील
पिपरई जिला अशोकनगर म0 प्र0

———अनावेदकगण

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 17-10-2018 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.1994 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम करीला, मुहाल तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर की भूमि सर्वे कमांक 15 रकवा 2.560 है0 पर आवेदक करीब 60 वर्षो से काबिज चला आ रहा था उसके द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया था कि आवेदक लंबे अर्से से काबिज चला आ रहा है जिस कारण भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो जाने से म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 190/110 के अतंर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जो प्रकरण कमांक 9/अ–46/88–89 पर दर्ज कर राजधर सिंह पुत्र सुबाजू की स्वामित्व की भूमि का आवेदक के नाम नामांतरण करने का आदेश दिनांक 11.12.89 पारित किया गया। इस आदेश का परीक्षण अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा किया गया। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि यह प्रकरण मूलरूप से पक्षकारों के मध्य व्यक्तिगत अन्तरण का है जिसमें मुद्रांकन बचाने की नियत से अंतरण म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 190/110 रूप में किया गया है। अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर तहसीलदार द्वारा अंतरण म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 190/110 का किया गया नामांतरण निरस्त किया गया इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि उस समय भूमि सुबाजू के नाम पर थी। सुबाजू के स्वर्गवास होने के पश्चात उनके वारिसान अनावेदक कमांक–6 काशी बाई एवं अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 के पिता राजधर सिंह के नाम पर भूमि आई। राजधर सिंह का स्वर्गवास हो चुका है इसलिये उक्त भूमि अनावेदकगण के नाम पर दर्ज है, किन्तु कब्जा आज भी आवेदक का चला आ रहा है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही पर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी और न ही किसी के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व कोई कार्यवाही की गई। उसके बाद भी अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा 5 वर्ष बाद प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है। तर्क में यह भी कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वांतों के अनुसार 180 दिवस के अंदर स्वमेव निगरानी में लिये जाने का प्रावधान है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नियम प्रकिया को अनदेखा करते हुये आदेश

पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.10.94 निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

4—अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि हमारे पूर्वज द्वारा उक्त भूमि को आवेदक को बटाई पर दिया था लेकिन लंबे अर्से से काबिज होने के कारण आवेदक द्वारा अपने नाम नामांतरण करा लिया गया था। उसके विरूद्व कहीं कोई किसी भी न्यायालय में मुकदद्मा दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक का नामांतरण निरस्त किया है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि अनावेदकगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

5—उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानी में संलग्न दस्तावेज एवं अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि ग्राम करीला मुहाल तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर की भूमि सर्वे कमांक 15 रकवा 2.560 है0 पर आवेदक करीब 60 वर्षो से काबिज चला आ रहा था उसके द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ—46/88—89 पर दर्ज कर राजधर सिंह पुत्र सुबाजू की स्वामित्व की भूमि का आवेदक के नाम नामांतरण करने का आदेश दिनांक 11.12.89 को पारित किया गया। लेकिन उसके विरूद्व अनावेदकगण द्वारा किसी भी न्यायालय में आज दिनांक तक उक्त आदेश के विरूद्व कोई चुनौती नहीं दी गई है। लेकिन अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में काफी समय के अंतराल के वाद लिया है। निश्चित समय के अन्दर में नहीं है, राजधर सिंह को सूचना पत्र जारी किया जिसमें दिनांक 18.11.93 को तामील कुनिंदा द्वारा नोट लगाया गया है कि तामील अधिक होने से तामील नहीं हो पाई उसके पश्चात राजधर सिंह को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया। इसी प्रकार काशी बाई को सूचना पत्र जारी किया गया सूचना पत्र में नोटिस लगा है कि वह ग्राम में नही रहती उसके बाद उनके लिये कोई दूसरा सूचना पत्र जारी नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बगैर आदेश पारित किया गया है जो उचित नहीं है। आवेदगण द्वारा उक्त भूमि पर काफी धन खर्च कर भूमि को उपजाऊ एवं कृषि योग्य बनाया है,

इसलिये अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेते हुये तहसीलदार का आदेश दिनांक 11.12.89 निरस्त करने में आवेदकगण को काफी मानसिक व शारीरिक व आर्थिक हानि हुई है इस संबंध में **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2000 आर0 एन0 161, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2000 आर0 एन0 67, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2010 (4) ए0 पी0 एल0 जे0 178 आर0 एन0 1996, 137, माननीय एस0 सी0 1969 1297, आर0 एन0 1990, 77 आर0 एन0 1992 163,** न्याय दृष्टांतों में अभिमत दिया गया है, कि स्वमेव निगरानी में कोई प्रकरण लेना है तो निश्चित समय सीमा के भीतर लेना चाहिये। काफी अंतराल के वाद नहीं एवं दूसरे पक्ष को सूचना सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं करना चाहिये, कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा जो प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया है व कतई उचित एवं नियमानुकूल नहीं है। इस वैधानिक तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर जिला अशोक नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.94 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– धारा–5 के आवेदन पर आवेदक अधिवक्ता का तर्क था कि आवेदक यह समझता रहा कि उक्त कृषि भूमि मेरे नाम दर्ज चली आ रही है किन्तु दिनांक 15.8.18 को खसरे की नकल कम्प्यूटर द्वारा निकाली गई तो पता चला कि उक्त भूमि मेरे नाम दर्ज नहीं है। उक्त भूमि अनावेदकगण के नाम दर्ज हो गई है, तब जिला मुख्यालय अशोकगनर जाकर समस्त जानकारी प्राप्त की तब पता चला कि अपर कलेक्टर जिला अशोकगनर के आदेश से उक्त भूमि से मेरा नाम हटा दिया गया है, तब आदेश की जानकारी लेकर दिनांक 20.8.18 को जिला रिकार्ड रूम में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जानकारी दिनांक से निगरानी अवधि अंदर प्रस्तुत है। विलंब उक्त कारण वस हुआ है। धारा–5 के आवेदन के साथ शपथ पत्र भी संलग्न है। धारा–5 का आवेदन क्षमा योग्य है। आवेदक अधिवक्ता के धारा–5 के आवेदन पर तर्क से बल मिलता है, क्यों कि आवेदक ग्राम में निवास करता है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर काबिज है। इसलिये धारा–5 का आवेदन सद्भावना पर आधारित होने से विलंब क्षमा किया जाता है। **परिसीमा अधिनियम 1963 धारा–5 विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया**

जाना चाहिये सामान्यतः विलंब मांफ किया जाना चाहिये। ए0 आई0 आर0 1987 एस0 सी0 1353 से अनुसरित।

7—उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर का प्रकरण कमांक 177/निगरानी/1992—93 में पारित आदेश दिनांक 17.10.1994 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मुंगावली द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ—46/88—89 में पारित आदेश दिनांक 11.12.1989 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर